GCMS No. : 2023/32

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः– डॉ हरीतिमा, आर0ए0एस0

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 17/2023

जीत सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्त्ता) श्री वरिन्द्र सिंह पुत्र सरदार भगत सिंह।

फर्म– मै. दुध विक्रेता, निवासी जण्डवाला, मीरा सांगला, तहसील व जिला– फाजिल्का, पंजाब।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(।।)/51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांक : 28 जुलाई, 2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री जीत सिंह यादव कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयुक्त, (खाद्य सुरक्षा), राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 20.04.2022 द्वारा उन्हें कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकत्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते है।

श्री जीत सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.01.2022 के समय सुबह 10 बजे पुलिस लाइन के पास, श्रीगंगानगर पर पहुंचे तो मौके पर श्री वरिन्द्र सिंह पुत्र सरदार भगत सिंह दुध विक्रेता वाहन संख्या पीबी 22–जी 9152 टाटा लोडिन्ग टेम्पू पर मालिक की हैसियत सेदुध विक्रय करता पाया गया और वाहन पर रखे ड्रमों में लगभग 500 लीटर **मिक्सड दुध** आमजन को बेचान हेतु बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के बेचान हेतु खाद्य पदार्थ **मिक्सड दूध** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **मिक्सड दूध** को नमूने वास्ते 02 लीटर हिला डुलाकर खरीदकर एक सूखे खाली बर्तन में लिया तथा चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ खाली प्लास्टिक की सीसी में भरकर लिया एवं मौके पर 80/– रुपए का भुगतान किया एवं केशमीमो बनवाकर, फार्म संख्या 5ए तैयार किया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिक्सड दूध** को बराबर चार भागों में बांटकर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डीओ श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1300** लगाया और प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

खरीद शुदा **मिक्सड दूध** के चारों नमूनों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **के–1300** को नियमानुसार चारों नमूनों को नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर, समझाकर फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हेतु कहा, जिसे श्री वरिन्द्र सिंह व गवाहान ने समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबन्द कर अगले कार्यदिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की तथा शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद ली गई। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 53/एक्ट/2022/53 दिनांक 19.01.2022 के अनुसार खाद्य नमूना **के–1300** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ा)/51 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ **मिक्सड दूध अमानक (सबस्टेण्डर्ड)** फूड पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी जण्डवाला मीरा सांगला तहसील व जिला फाजिल्का पंजाग का रहने वाला है प्रार्थी मैसर्स दूध विक्रता गांव जण्डवाला मीरा सांगला तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

23/1061 दिनांक 04.07.2023 का दिया है कि आपसे मिक्सड दूध की जांच की गई तो मिक्सड दूध Misbranded Food पाया गया है प्रार्थी ने उक्त मिक्सड दूध में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण 17/2023 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री वरिन्द्र सिंह निवासी जण्डवाला, मीरा सांगला, तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब से लिया गया **मिक्सड दूध** का सैम्पल **के–1300** जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस 53/एक्ट/2022/53 दिनांक 19.01.2022 द्वारा **सब स्टेण्डर्ड (अमानक)** पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि The sample of "**Mixed Milk**" bearing Code No. and Sr. No. K-1300 of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar, is **Sub-standard Food** as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standard (Food Products Standard and Food Additive) Regulation, 2011.

फलस्वरूप, श्री वरिन्द्र सिंह निवासी जण्डवाला, मीरा सांगला, तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ii)/51 के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री वरिन्द्र सिंह को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 5000/– (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।